"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अगस्त 2010—भाद्र 3, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-15/18/2009.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-08-2010 को संशोधित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के स्थान पर श्री पुलक भट्टाचार्य, अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर को परिषद् के आगामी निर्वाचन होने तक नगर पालिका परिषद् बीरगांव का प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-1-15/18/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-15/18/2009 दिनांक 25-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 25th August 2010

REVISED NOTIFICATION

No. F-1-15/18/2009.—This departmental notification of even number dated 11-08-2010 is amended and State Government hereby appoint Shri Pulak Bhattacharya, Additional Tahsildar, Raipur as Administrator to Municipal Council-Birgaon in place of Sub Divisional Officer (Revenue) Raipur, till the next elections are held.

By the order and in the name of Govenor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.